न्यायालय उपखण्ड अधिकारी राजस्व लोक अदालत शिविर बिजौलियां केम्प सुखपुरा बईजलास श्री प्रवीण कुमार (RAS)

राजस्व प्रकरण संख्याः–1/16 दायर तारीख 02.02.2016

मोहन पिता नंदा बलाई उम्र 60 साल निवासी बेरीसाल तह0 बिजौलियां जिा भीलवाडा

..............अपीलांट

बनाम

1. संरपंच ग्राम पंचायत सुखपुरा तहसील बिजौलियां
2. चुन्नीलाल पिता नंदा बलाई उम्र 70 साल निवासी बेरीसाल
3. लादु पिता प्रभू बलाई उम्र 35 साल निवासी बेरीसाल
4. गोपालं पिता प्रभू बलाई उम्र 30 साल निवासी बेरीसाल

..........रेस्पोडेंटस

उपस्थितः–

धनश्याम धाकड अधिवक्ता अपीलांट

अपील विरुद्व ग्राम पंचायत सुखपुरा इंतकाल नं0 9 दिनांक 15.10.1977 को निरस्त कराये जाने बाबत

:–निर्णयः– दिनांक 08.06.2018

अपील नामान्तरकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है अपीलांट ने एक अपील विरुद्व रेस्पोडेंट इस न्यायालय में प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम बेरीसाल के नामान्तरकरण संख्या– 9 पर ग्राम पंचायत सुखपुरा द्वारा पारित आदेश दिनांक 15.10.1977 को निरस्त कराये जाने बाबत अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत हुई। अपीलांट ने अपील मेमो में अंकित किया कि ग्राम बेरीसाल तह0 बिजौलियां की सरहद में अपीलांट के पिता नंदा पिता किशना बलाई के नाम पर आराजी नं0 7/98, 125/126, 129/136 किता 6 व 124/137 किता 2 स्थित थी। अपीलांट के पिता का देहान्त हो गया और उसकी मृत्यू के पश्चात पटवारी हल्का द्वारा नामान्तरकरण द्वारा खोला गया तथा सरपंच ग्राम पंचायत सुखपुरा नामान्तरकरण फैसल किया गया जो पुर्ण त्रुटीपुर्ण होकर मृतक नंदा के वारिसान की पुर्ण जानकारी किये हुये बिना कोरम के इंतकाल स्वीकृत कर दिया जो न्याय व सिद्वांत के विपरीत होकर काबिल खारीज है। नंदा पिता किशना बलाई के परिवार का सजरे के अनुसार मृत नंदा पिता किशना के जायज वारिस अपीलान्ट तथा रेस्पोडेन्ट नं0 2 से 5 है अपीलांट का निरन्तर कब्जा चला आ रहा है। विवादग्रस्त भूमि को लेकर अपीलान्ट रेस्पोडेन्ट नं0 2 से 5 के बीच किसी प्रकार का विवाद नही है किन्तु नंदा के विरासत से इंतकाल खोलने में सेवन से अपीलान्ट का नाम रह गया जिससे निकट भविष्य में गम्भीर विवाद उत्पन्न होकर अपीलान्ट के हितो पर कुठारघात हो सकता है ऐसी स्थिति में न्याय व सिद्वांत के विपरीत जो इंतकाल खोला गया वह निरस्त किया जाना न्यायसंगत होगा। अपीलांट को उक्त गलत नामान्तरकरण की सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 19.12.2015 को जब अपीलांट अपनी भूमि पर किसान क्रेडिट कार्ड बनाने के लिये खाते की नकल लेने पटवारी के यहा पर गया तब उसे यह जानकारी हुई कि उसका नाम खाते में अंकित नही है तब अपीलांट ने नामान्तरकरण की प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त करने हेतु दिनांक 18.01.2016 को प्रार्थना पत्र पेश किया व प्रमाणित प्रतिलिपि दिनांक 19.01.2016 को प्राप्त हुई ऐसी स्थिति में अपील नामान्तरकरण अंदर अवधि पेश है। अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर ग्राम पंचायत सुखपुरा के इंतकाल नं0 9 को निरस्त कराया जावे अपीलान्ट का नाम दर्ज किये जाने का आदेश प्रदान कराया जावे।

उप खण्ड अधिकारी
बिजौलियां(भीलवाड़ा)

अपील दर्ज रजिस्टर कार्यवाही जाकर रेस्पोडेंट की तलबी जरिये नोटिस मय

रेस्पोडेंट नं0 1 से 5 बावजूद सूचना गैर हाजिर रहने से एकपक्षिय कार्यवाही दिनांक 27.04.2017 को की गई।

अपीलांट ने अपील मेमो के साथ दफा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रतिलिपि नामान्तरकरण ग्राम बेरीसाल, प्रमाणित प्रति जमाबंदी सम्वत् 2032 से 35 व 2070 से 73 तथा जमाबंदी ग्राम खडीपुर सम्वत् 2028 से 31, नामान्तरकरण संख्या 52 तथा ग्राम बेरीसाल चालू जमाबंदी व पुरानी जमाबंदी की प्रति प्रस्तुत की है।

बहस विद्वान अधिवक्ता अपीलांट एकपक्षिय सूनी गई।

बहस के दौरान अधिवक्ता अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों का विस्तार से जिक्र करते हुये निवेदन किया कि ग्राम बेरीसाल के नामान्तरकरण संख्या– 9 पर ग्राम पंचायत सुखपुरा द्वारा पारित आदेश दिनांक 15.10.1977 जो पारित किया गया है अवैध एंव न्याय सिद्वान्तों के विपरित खोला गया है नामान्तरकरण में वारीसान की भी पूर्ण जॉच नही कर बिना कोरम के इंतकान स्वीकृत कर दिया। जो काबिल खारिज है। अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया विद्वान अधिवक्ता की एकपक्षिय बहस पर मनन किया ।

अपीलांट ने ग्राम बेरीसाल के नामान्तरण संख्या 9 पर ग्राम पंचायत सुखपुरा द्वारा पारित आदेश 15.10.1977 के विरुद्व अपील प्रस्तुत की है ग्राम पंचायत द्वारा अपीलांट को व वादग्रस्त भूमि में पक्ष रखने वाले आवश्यक पक्षकारों को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान नही किया गया है न्याय के नेसर्गिक सिद्वान्तो का उलग्न हुआ है। नामान्तरकरण पर पारित आदेश अपास्त योग्य है।

अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर ग्राम बेरीसाल के नामान्तरकरण संख्या 9 पर ग्राम पंचायत सुखपुरा द्वारा पारित आदेश दिनांक 15.10.1977 निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण तहसीलदार बिजौलियां को रिमाण्ड कर निर्देशित किया जाता है कि नंदा के वारीसान व आवश्यक पक्षकारो को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर नामान्तरकरण अज सिरे नो निर्णित करे। तहसीलदार बिजौलियां को निर्णय प्रति पालनार्थ प्रेषित हो।

आदेश आज दिनांक 08.06.2018 को मुकाम सुखपुरा पर लिखवाया जाकर सुनाया गया। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर फैसल शुमार हो।

08/06/18

(प्रवीण कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
बिजौलिया
(कैम्प सुखपुरा)

उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियां (भीलवाड़ा)